रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2014/श्रावण 29, 1936
No. 432] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2014/SHRAVANA 29, 1936

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 597(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 5 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 51 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2014 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.** —इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

   (क) "अधिनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है ;

   (ख) "पूर्णकालिक सदस्य" से अधिनियम की धारा 4 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकरण के सदस्य के अंशकालिक सदस्य अभिप्रेत हैं ;

   (ग) उन पदों और शब्दों, के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

3. अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के लिए चयन समिति. —(1) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष और प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य चयन समिति की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) सचिव, वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग) - अध्यक्ष, पदेन

(ख) सचिव, वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग) - सदस्य, पदेन

(ग) सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) - सदस्य, पदेन

(घ) सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) - सदस्य, पदेन

(ङ) सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय - सदस्य, पदेन

(च) वित्त मंत्रालय के भारसाधक मंत्री द्वारा सुसंगत क्षेत्र से ख्यातिप्राप्त दो विशेषज्ञ नामनिर्दिष्ट होंगे - सदस्य

(2) चयन समिति उप नियम (1) के प्रयोजन के लिए अपनी बैठक की प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी ।

4. वैश्वासिक घोषणा.—अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य अपनी ऐसी नियुक्ति को या उससे पहले अपने पूर्व नियोजन की विशिष्टियों और अधिनियम की धारा 7 में निर्दिष्ट किसी विनियामक अस्तित्व में अंशःधारिता तथा ऐसी अपनी अवधि के दौरान किसी भी समय किसी भी विनियामक अस्तित्व में अपनी पति/पत्नी, आश्रित बालकों और माता-पिता के पूर्व या वर्तमान नियोजन तथा अपनी पति/पत्नी, आश्रित बालकों और माता-पिता की किसी अंशःधारिता की विशिष्टियों की शपथ-पत्र पर घोषणा करेगा ।

5. वेतन,-- (1) अध्यक्ष गृह और कार की सुविधा के बिना प्रतिमास साढ़े चार लाख पचास हजार रुपए का समेकित वेतन प्राप्त करेगा ।

(2) पूर्णकालिक सदस्य गृह और कार की सुविधा के बिना प्रतिमास तीन लाख पचहत्तर हजार रुपए का समेकित वेतन प्राप्त करेगा ।

6. यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि. —(1) अध्यक्ष जब दौरा या स्थानांतरण पर (जिसके अंतर्गत प्राधिकरण में अपने पद ग्रहण के लिए या प्राधिकरण में अपनी पदावधि की समाप्ति पर अपने गृह नगर जाने के लिए की गई यात्रा भी है) यात्रा के लिए शीर्ष ग्रेड [अस्सी हजार रुपए (नियत) प्रतिमाह] के केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को यथा लागू और उसी वेतनमान पर समान दर पर यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, वैयक्तिक सामानों के परिवहन और अन्य समान विषयों का हकदार होगा ।

(2) पूर्णकालिक सदस्य जब दौरा या स्थानांतरण पर (जिसके अंतर्गत प्राधिकरण में अपने पद ग्रहण के लिए या प्राधिकरण में अपनी पदावधि की समाप्ति पर अपने गृह नगर जाने के लिए की गई यात्रा भी है) यात्रा के लिए तीन प्रतिशत की दर पर वार्षिक वेतनवृद्धि के साथ वेतनमान की समतुल्य श्रेणी के केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को लागू समान दर पर और उसी वेतनमान पर यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, वैयक्तिक सामानों के परिवहन और अन्य समान विषयों का हकदार होगा ।

7. भारत से बाहर शासकीय दौरा,-- (1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य द्वारा भारत से बाहर दौरे करने को वित्त मंत्रालय के भारसाधक मंत्री और सचिवों की छानबीन समिति के पूर्व अनुमोदन तथा राजनीतिक दृष्टि से विदेश मंत्रालय और विदेशी सत्कार को

स्वीकार करने के लिए गृह मंत्रालय से, यदि कोई हों, विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निर्बाधन की अपेक्षा होगी ।

(2) प्रत्येक अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य भारत से बाहर विदेशी दौरा केवल केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसरण में करेगा और अध्यक्ष की दशा में शीर्ष ग्रेड (अस्सी हजार रुपए (नियत) प्रतिमाह) के केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को लागू ऐसे समान निरीक्षणों के संबंध में ऐसे भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा और पूर्णकालिक सदस्य की दशा में तीन प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि के वेतनमान वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को लागू भत्ते प्राप्त करने के हकदार होगा ।

8. **छुट्टी यात्रा रियायत,**– प्रत्येक अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य छुट्टी यात्रा भत्ते के अध्यक्ष की दशा में शीर्ष ग्रेड [अस्सी हजार रुपए (नियत) प्रतिमाह] के केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को लागू ऐसे समान निरीक्षणों के संबंध में ऐसे भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा और पूर्णकालिक सदस्य की दशा में तीन प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि के वेतनमान वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को लागू भत्ते प्राप्त करने के हकदार होगा ।

9. **प्राधिकरण के अधिवेशनों के लिए बैठक फीस,**-- अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य प्राधिकरण के अधिवेशनों में भाग लेने के लिए किसी बैठक फीस के हकदार नहीं होंगे ।

10. **छुट्टी और छुट्टी भुनाना,**-- (1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की अर्जित छुट्टी के हकदार होंगे ।

(2) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा ।

(3) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य किसी कलैंडर वर्ष में अधिकतम 12 दिनों के लिए किसी कलैंडर वर्ष के दौरान केवल एक बार छुट्टी भुनाने की अनुज्ञा की शर्त के अधीन रहते हुए, किसी भी समय अपनी जमा अर्जित छुट्टी के पचास प्रतिशत को भुनाने के हकदार होंगे ।

11. **छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी,**-- (1) अध्यक्ष किसी पूर्णकालिक सदस्य को छुट्टी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(2) भारत के राष्ट्रपति अध्यक्ष को छुट्टी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे ।

12. **सत्कार भत्ता,**-- अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य सत्कार भत्ते के हकदार नहीं होंगे ।

13. **उपादान और पेंशन,**– (1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य उपादान के हकदार नहीं होंगे ।

(2) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू राष्ट्रीय पेंशन पद्धति सम्मिलित होने में पात्र होंगे ।

14. **टेलीफोन सुविधा,**– अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, अध्यक्ष की दशा में, शीर्ष ग्रेड (अस्सी हजार रुपए (नियत) प्रतिमाह) के केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को लागू ऐसे समान निरीक्षणों के संबंध में ऐसे भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा और पूर्णकालिक सदस्य की दशा में, तीन प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि के वेतनमान वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को स्वीकार्य टेलीफोन सुविधा के लिए पात्र होंगे ।

15. **चिकित्सीय सुविधाएं,**-- अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य जब वह प्राधिकरण की सेवा में हों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा स्कीम में यथाउपबंधित चिकित्सा उपचार और सुविधाओं के हकदार होंगे :

परंतु ऐसे स्थानों पर, जहां सुविधाएं केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम लागू नहीं है, अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य केंद्रीय सरकार (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में यथाउपबंधित सुविधाओं के हकदार होंगे ।

16. **पद और गोपनीयता की शपथ,--** (1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पहले पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ लेगा ।

(2) पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ इन नियमों से संलग्न प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में होगी ।

17. **अवशिष्ट उपबंध,--** अंशकालिक सदस्यों से संबंधित अवशिष्ट मामले, किसी भत्ते के संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, विनिश्चय के लिए प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट होंगे और उस पर सरकार का विनिश्चय उन पर लागू होगा ।

18. **शिथिल करने की शक्ति,--** केंद्रीय सरकार को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल करने की शक्ति होगी ।

[फा. सं. 11/5/2014-पीआर]

अनूप वाधवान, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1

(नियम 7 देखें)

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/पूर्णकालिक सदस्य द्वारा
पद की शपथ का प्ररूप

मैं,.. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण तथा अपनी पूर्ण योग्यता, ज्ञान और विवेक से निर्वहन करूंगा और मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा ।

तारीख :

(अध्यक्ष/पूर्णकालिक सदस्य का नाम)

प्ररूप 2

(नियम 7 देखें)

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/पूर्णकालिक सदस्य द्वारा
गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

मैं,.. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे अध्यक्ष/पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा ।

तारीख :

(अध्यक्ष/पूर्णकालिक सदस्य का नाम)

(अधिकारी का नाम)

अधिकारी का पदनाम

(फाइल सं....................)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2014.

G.S.R. 597(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 51, read with sub-section (3) of section 5 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) Rules, 2014.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition.**—In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);

(b) "whole-time member" means the whole-time member referred to in clause (b) of section 4 of the Act;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Selection Committee for appointment of Chairperson and whole-timemembers.**—(1) The Chairperson of the Pension Fund Regulatory and Development Authority and every whole-time member thereof shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a Selection Committee consisting of the following namely.-

(a) Secretary, Ministry of Finance
(Department of Financial Services) — Chairman *ex officio*;

(b) Secretary, Ministry of Finance
(Department of Economic Affairs) — Member *ex officio*;

(c) Secretary, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Pensions and Pensioners' Welfare) — Member *ex officio*;

(d) Secretary, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel and Training) — Member *ex officio*;

(e) Secretary, Ministry of Labour and Employment — Member *ex officio*;

(f) two experts of eminence from the relevant field to be nominated by the Minister in-charge of the Ministry of Finance — Members.

(2) The Selection Committee may regulate its own procedure for its meetings for the purpose of sub-rule (1)

4. **Fiduciary declaration.**—The Chairperson and every whole-time member shall, on or before his appointment as such, declare on an affidavit the particulars of previous employment and shareholding in any regulated entity referred to in section 7 of the Act and previous or present employment of his spouse, dependent children and parents and the particulars of any shareholding of his spouse, dependent children and parents in any regulated entity at any time during his tenure as such.

5. **Pay.**-(1) The Chairperson shall receive a consolidated salary of four lakh and fifty thousand rupees per month without the facility of house and car.

(2) A whole-time member shall receive a consolidated salary of three lakh and seventy-five thousand rupees per month without the facility of house and car.

6. **Travelling allowance.**—(1) The Chairperson, while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Authority or on the expiry of his term with the Authority while proceeding to his home town) shall be entitled to

the travelling allowance, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rate as applicable to the officers of the Central Government in the Apex Grade [eighty thousand rupees (fixed) per month].

(2) Every whole-time member while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Authority or on the expiry of his term with the Authority while proceeding to his home town) shall be entitled to the travelling allowance, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rate as applicable to Group 'A' officer of equivalent rank of the Central Government having any pay scale of sixty-seven thousand rupees and seventy nine thousand rupees per month with an annual increment at the rate of three per cent.

7. **Official tours outside India.**—(1) Tours outside India to be undertaken by the Chairperson and whole-time members shall require prior approval of the Minister-in-charge of the Ministry of Finance and of the Screening Committee of the Secretaries and clearance from the Ministry of Eternal Affairs from political angle and from the Ministry of Home Affairs for acceptance of foreign hospitality, if any, under the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) or any other law for the time being in force.

(2) The Chairperson and every whole-time member shall undertake tours outside India only in accordance with orders issued by the Central Government and they shall be entitled to draw such allowances in respect of such visits as applicable to the officers of the Central Government in the Apex Grade [eighty thousand rupees (fixed) per month] in the case of Chairperson and in the pay scale of sixty-seven thousand rupees and seventy-nine thousand rupees per month with an annual increment at the rate of three per cent., in the case of the whole-time member.

8. **Leave Travel Concession.**—The Chairperson and every whole-time member shall be entitled to Leave Travel Concession at the same rate as applicable to the officers of the Central Government in the Apex Grade [eighty thousand rupees (fixed) per month] in the case of Chairperson and in the pay scale of sixty-seven thousand rupees and seventy-nine thousand rupees per month with an annual increment at the rate of three per cent., in the case of whole-time member.

9. **Sitting fee for meetings of Authority.**—The Chairperson and every whole-time member shall not be entitled to any sitting fee for attending the meetings of the Authority.

10. **Leave and leave encashment.**—(1) The Chairperson and the whole-time members shall be entitled to thirty days of earned leave for every year of service.

(2) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(3) The Chairperson and the whole-time members shall be entitled to encashment of fifty per cent. of earned leave standing to their credit at any time, subject to the condition that encashment shall be permitted only once during any calendar year for a maximum of twelve days in a calendar year.

11. **Leave sanctioning authority.**—(1) The Chairperson shall be the authority competent to grant leave to a whole-time member.

(2) The President of India shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

12. **Sumptuary allowance.**—The Chairperson and the whole-time members shall not be entitled to sumptuary allowance.

13. **Gratuity and pension.**—(1) The Chairperson and the whole-time members shall not be entitled to gratuity.

(2) The Chairperson and the whole-time members shall be eligible to join the National Pension System applicable to the Central Government employees.

14. **Telephone facility.**—The Chairperson and the whole-time members shall be eligible for telephone facility as admissible to the officers of the Central Government in the Apex Grade [eighty thousand rupees (fixed) per month] in the case of Chairperson and in the pay scale of sixty-seven thousand rupees and seventy-nine thousand rupees per month with an annual increment at the rate of three per cent., in the case of whole-time members.

15. **Medical facility.**—The Chairperson and the whole-time members shall be entitled, while in the service of the Authority, to medical treatment and facilities as provided in the Central Government Health Scheme for retired Government servants:

Provided that at places where facilities under the Central Government Health Scheme are not available, the Chairperson and the whole-time members shall be entitled to the facilities as provided in the Central Service (Medical Attendance) Rules, 1944.

16. **Oath of office and secrecy.**—(1)Every person appointed to be the Chairperson and whole-time member shall, before entering upon their office, subscribe to an oath of office and an oath of secrecy.

(2) The oath of office and the oath of secrecy shall be administered in the Form I and Form II annexed to these rules.

17. **Residuary provisions.**—Matters relating to the terms and conditions of service of the Chairperson and the whole-time members with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Authority to the Central Government for its decision, and the decision of the Central Government thereon shall be applicable to the Chairperson and the whole-time members.

18. **Power to relax.**—The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules with respect to any class or category of persons.

[F. No. 11/5/2014-PR]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.

FORM I

(See rule 16)

Form of oath of office for the Chairperson/whole-time member of the Pension Fund Regulatory and Development Authority.

"I,---------------------, having been appointed as Chairperson/whole-time member of the Pension Fund Regulatory and Development Authority do solemnly affirm/swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chairperson/member to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear or favour, affection or ill-will."

Dated:

(Name of the Chairperson/whole-time member)

FORM – II

(See rule 16)

Form of oath of secrecy for the Chairperson/whole-time member of the Pension Fund Regulatory and Development Authority.

"I, --------------, having been appointed as the Chairperson/whole-time member of the Pension Fund Regulatory and Development Authority do solemnly affirm/swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairperson/whole-time member of the said Authority except as may be required for the due discharge of my duties as Chairperson/whole-time member."

Dated:

(Name of the Chairperson/whole-time member)

(Name of officer)

Designation of officer

[File No.-------------------]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.